कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 619-21 **एम.सी./स्था/राज/4/2021** **भोपाल, दिनांक** 09 **/02/2021**

//नोटिस//

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा,मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 2156–61/स्था/राज/2010 भोपाल, दिनांक 20.08.2010 द्वारा संस्था में रिक्त **सीनियर/जूनियर रेसीडेंट** के पदों को वॉक इन इंटरव्यू द्वारा भरने की अनुमति प्रदान की गई है ।

अतः संस्था में रिक्त पदों का विवरण एवं पदों को भरने हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्तें मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–42/7/1/55 दिनांक 28.08.2007 के अनुसार है।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के सभागृह में दिनांक 16.02.2021 को **प्रातः 10.00 बजे** मूल दस्तावेजो की छानबीन एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार 1:00 बजे से आयोजित किये जायेगे। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार एवं **आरक्षित श्रेणी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के आवेदकों को रूपये 500/–** एवं **अनारक्षित रूपयें 1000/–** लेखा शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर, सम्पूर्ण दस्तावेज एवं भरा हुआ आवेदन पत्र आवक शाखा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे **15.02.2021 सांय 05:00 बजे** तक आवश्यक रूप से स्वयः अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करावे । इसके उपरान्त आने वाले आवेदनो पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जावेगा। प्रत्याशी को स्वयः दस्तावेज छानबीन समिति के समक्ष अपने मूल दस्तावेजो के साथ 16.02.2021 प्रातः 10:00 बजे **गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के सभागृह मे उपस्थित रहना होगा ।**

छानबीन समिति द्वारा अपात्र किये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। उम्मिदवारो किसी भी बदलाव के लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

जूनियर रेसीडेंट (रिक्त पदो की जानकारी)

S.No.	Subject	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व	कुल
1	Medicine (T.B.)	1	0	0	0	**1**
2	Dermatology	0	0	1	0	**1**
3	T.B.Chest	1	0	0	0	**1**
5	Nephrology	1	1	0	0	**2**
6	Gastroentrology	2	1	1	0	**4**
7	Uro Surgery	1	0	0	0	**1**
8	C.T. Surgery	1	0	1	0	**2**
	Total	**07**	**02**	**03**	**00**	**12**

उपरोक्त चिन्हित पदो मे अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व = अन्य पिछड़ा वर्ग, से उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

नोटः– किसी भी विषय में चयन उपरान्त सीनियर रेसिडेन्ट आगामी एक वर्ष तक आवेदन दिये जाने हेतु पात्र नहीं होगा ।

जूनियर रेसीडेंट –45000/– (निर्वाहन भत्ता) अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

जूनियर रेसीडेंट

1. एम.बी.बी.एस पास कर इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो।
2. चिकित्सको की इंटर्नशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होगे।
3. म.प्र. मेडिकल कौसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र ।

अवधि– उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है। नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोष जनक पाये जाने पर वृद्धि कि जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ–2–42/07/1/55 भोपाल दिनांक 23.07.2007 के अनुसार आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नही होने पर सीटे अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.व. एवं अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी ।

अन्य शर्तें

1. साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार **अनारक्षित /अ.जा./ अ.ज.जा / अ.पि.व. श्रेणीयों मे आवेदन कर सकेगें ।** **आरक्षित श्रेणी आवेदकों को रूपये 500/–** एवं **अनारक्षित श्रेणी आवेदको को रूपयें 1000/–आवेदन शुल्क भरना**

अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग का चिकित्सक यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आवेदन करता है तो उसे अनारक्षित वर्ग के पद की शूल्क राशि जमा करनी होगी।
आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते मे IMPS/NEFT /बैंक ड्राफ्ट द्वारा **Account Name:-** CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 में जमा कराना होगा। शुल्क संचालन की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा ।

2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा ।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनो पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
4. सेवारत उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित नही होने पर सेवारत उम्मीदवार के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा । सेवारत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नही होगी ।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के स्थाई प्रमाणपत्र (तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (I) आयु के संबंध में हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी परीक्षा प्रमाणपत्र/ अधिकतम आयु एम.सी.आई. मापदण्डानुसार 45 वर्ष होगी।
   (II) एम.बी.बी.एस. परीक्षा संबंधी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
   (III) एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी/डिप्लोमा
   (IV) स्नातकोत्तर उपाधि पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)।
   (IV) स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अभि प्रमाणित प्रमाणपत्र।(यदि हो)।
6. म.प्र. मेडिकल कौसिल में सभी मेडिकल डिग्रियो के पंजीयन प्रमाण पत्र । मेंडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के एम. सी.आई. से ऐफिलेसन होने तक छूट प्रदान की गई।
7. पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र एवं प्रेसेन्टेशन (ओरल/पोस्टर) की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। (मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)
8. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । म.प्र. शासकीय, स्वशासी चि.म. वि. के आवेदको को मूल प्रमाण पत्र अधिष्ठाता के पास जमा होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिया गया इन अभिलेखो का जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
9. उम्मीद्वार को एम.डी/एम.एस. होने का attempt certificate परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 15 दिवस मे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. ओ.बी.सी. उम्मीदवार को तहसीलदार/तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान आय प्रमाण पत्र।
11. चयन के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विघार्थियों को यथा संभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविघालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।
12. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ 4–7/2010/1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा । चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वासथ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
13. प्रस्तुत साक्षात्कार हेतु किसी भी बदलाव के लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

09/02/21

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल
2. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, होस्टल ब्लाक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी।
3. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल